

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कंमाक :-एफ.2(3255)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/ML-2857/2024

जयपुर, दिनांक : 04/01/2024

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री गौरव शर्मा, सहायक प्रोग्रामर, जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, धौलपुर द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से M.Sc (CS) अन्तिम वर्ष सत्र 2023-2024 में अध्ययन हेतु स्वयंपाठी माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु श्री गौरव शर्मा, सहायक प्रोग्रामर को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेना आवश्यक होगी।
3. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

—sd—

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, धौलपुर।
2. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. श्री गौरव शर्मा, सहायक प्रोग्रामर, जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, धौलपुर।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

वजय

04/01/2023

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी